भारत सरकार

रेल मंत्रालय

**राज्य सभा**

**27.07.2018 के**

**अतारांकित प्रश्न सं. 1246 का उत्तर**

**रेलगाडि़यों में अपराधों की घटनाएं**

**1246. श्रीमती अम्बिका सोनीः**

**डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डीः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) पिछले तीन वर्षों में देश में, विशेष रूप से आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में चलती रेलगाडि़यों में चोरी लूट-पाट इत्यादि जैसे कितने अपराध की घटनाएं कारित हुईं;

(ख) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में कुछ बदमाश यात्रियों से उनका कीमती सामान लूटने के लिए नशीले बिस्किट तथा अन्य खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो डिब्बों में जीआरपी तथा कोच अटेंडेंट की तैनाती तथा यात्रियों द्वारा सुरक्षा संबंधी सावधानियां बरतने सहित रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

**उत्तर**

**रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*\*

रेल गाड़ि‍यों में अपराधों की घटनाओं के संबंध में दिनांक 27.07.2018 को राज्‍य सभा में श्रीमती अम्बिका सोनी और डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी के अतारांकित प्रश्‍न सं.1246 के भाग (क) से (ग) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण।**

(क) से (ग): रेलों पर पुलिस की व्‍यवस्‍था करना राज्‍य सरकार का विषय है और इसलिए रेल परिसरों और चलती गाड़ी में अपराधों की रोकथाम करना, मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच करना राज्‍य सरकारों की सांविधिक जिम्‍मेदारी है, जिसका निर्वहन वे संबंधित राज्‍य की राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) जिला पुलिस के माध्‍यम से करती हैं। बहरहाल, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ), यात्री क्षेत्र और यात्रियों को बेहतर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राजकीय रेलवे पुलिस के कार्यों में सहायता करती है। रेलवे में चोरी, लूटपाट, डकैती, जहरखुरानी आदि सहित भारतीय दंड स‍ंहिता (आईपीसी) के मामले संबंधित राजकीय रेल पुलिस द्वारा पंजीकृत किए जाते हैं और उन्‍हीं के द्वारा इनकी जांच की जाती है। रेलवे भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के अपराधों का कोई डाटा नहीं रखती है। रेलों पर अपराध की स्थिति के बारे जब भी कोई सूचना मांगी जाती है तो संबंधित राज्‍य की जीआरपी से सूचना मुहैया कराने का अनुरोध कि‍या जाता है। राजकीय रेल पुलिस स्‍टेशनों द्वारा मुहैया कराए गए डाटा के आधार पर, वर्ष 2015, 12016 एवं 2017 के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दिल्‍ली, हरियाणा और पंजाब राज्‍यों सहित भारतीय रेलों पर चलती गाड़ि‍यों में चोरी, लूटपाट, डकैती, जहरखुरानी के मामले निम्‍नानुसार हैं:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| वर्ष | चलती गाड़ि‍यों में दर्ज किए गए अपराधों की संख्‍या | | | |
| यात्रियों के सामान की चोरी | लूट-पाट | डकैती | जहरखुरानी |
| 2015 | 15039 | 701 | 60 | 344 |
| 2016 | 17121 | 432 | 43 | 297 |
| 2017 | 26349 | 577 | 32 | 207 |

रेल यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने और उन्‍हें यात्रा के दौरान सावधानियों के बारे में जागरूक कराने के लिए रेलवे द्वारा निम्‍नलिखित कदम उठाए गए हैं।

1. भेद्य और चिह्नित मार्गों/खंडों पर, विभिन्‍न राज्‍यों की राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा प्रति दिन 2200 गाडि़यों के मार्गरक्षण के अलावा, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा प्रतिदिन 2500 गाडि़यों (औसतन) का मार्गरक्षण किया जा रहा है।
2. यात्रियों की संरक्षा और सुरक्षा निश्चित करने के लिए, भारतीय रेल के लगभग 436 स्‍टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों द्वारा निगरानी रखी जाती है।
3. 202 रेलवे स्‍टेशनों पर निगरानी तंत्र में सुधार करने के लिए क्‍लोज़ सर्किट टेलीविज़न कैमरा नेटवर्क और एक्सेस कंट्रोल के जरिए भेद्य स्‍टेशनों पर निगरानी के लिए एक एकीकृत सुरक्षा प्रणाली स्‍वीकृत की गई है।
4. गाड़ि‍यों में किसी भी अपराध की रिपोर्टिंग सहित यात्रियों को चौबीस घंटे सुरक्षा संबंधी सहायता प्रदान करने के लिए, भारतीय रेलों पर रेलवे सुरक्षा बल के मंडल सुरक्षा कंट्रोल रूम के जरिए अखिल भारतीय सुरक्षा हेल्‍पलाइन नंबर ‘182’ कार्य कर रहा है।
5. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्‍चित करने के लिए और गाड़ी मार्गरक्षण कर्मचारियों की सतर्कता सुनिश्चित करने के लिए गाड़ियों में औचक जांचें की जाती हैं।
6. यात्रियों के प्रति अपराध का पता लगाने के लिए मंडल, ज़ोनल और अंतर-ज़ोनल स्‍तर पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्‍त टीमें कार्य कर रही हैं।
7. चोरी, झपटमारी, जहर-खुरानी आदि के विरूद्ध सावधानियां बरतने हेतु यात्रियों को गाड़ियों में पैम्‍फलेट बांटकर, स्टिकर चिपकाकर और स्‍टेशन परिसरों पर लाउड स्‍पीकरों और जन उद्घोषणा प्रणाली के जरिए जागरूक किया जाता है।
8. यात्रियों को विभिन्‍न इलेक्‍ट्रॉनिक और प्रिन्‍ट मीडि‍या के जरिए जागरूक किया जाता है कि वे अनजान व्‍यक्तियों से खाने-पीने की वस्‍तुएं न लें।
9. यात्रियों की सुरक्षा संवर्धन करने और उनकी सुरक्षा से संबंधित समस्‍याओं के समाधान के लिए रेलें ट्विटर, फेसबुक जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्‍लेटफार्मों के जरिए महिला यात्रियों सहित यात्रियों के साथ नियमित रूप से संपर्क में रहती हैं।
10. गाड़ियों और रेल परिसरों में अनधिकृत व्‍यक्तियों के प्रवेश को रोकने के लिए अभियान चलाए जाते हैं।
11. रेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2018 को महिला सुरक्षा वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। महानगरों में चलने वाली सभी महिला स्‍पेशल गाड़ि‍यों का महिला आरपीएफ कांस्‍टेबलों द्वारा मार्गरक्षण किया जा रहा है। अन्‍य गाड़ि‍यों में, जहां मार्गरक्षण मुहैया कराए जाते हैं, वहां गाड़ी मार्गरक्षण पार्टियों को मार्गवर्ती और हाल्‍ट स्‍टेशनों पर महिला सवारी डिब्‍बों पर अतिरिक्‍त सतर्कता रखने के लिए ब्रीफ किया गया है।
12. रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल परिसर और चलती गाडि़यों में अपराधों की रोकथाम, मामलों के पंजीकरण, उनकी जांच और कानून व्‍यवस्‍था को बनाए रखने के लिए सभी स्‍तरों पर राज्य पुलिस/राजकीय रेल पुलिस के साथ निकट समन्‍वय बनाए रखा जाता है।

इसके अलावा, वातानुकूलित सवारी डिब्‍बों में कोच अटेंडेंट तैनात किए जाते हैं, जो वातानुकूलित प्रणाली के सही ढंग से काम करने, लिनेन के वितरण और यात्री सुविधाओं से संबंधित शिकायतों को निपटाना सुनिश्चित करते हैं।

\*\*\*\*\*